भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 55

जिसका उत्तर सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक) को दिया गया

वित्त तक आसान पहुंच

55. श्री ए. राजा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे पिछड़े वर्गों के उद्यमियों की वित्त तक पहुंच को आसान बनाने के संबंध में कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्यमियों को वित्त प्राप्त करने में पेश आ रही कठिनाइयों को देखते हुए ऋण देने के मानदंड को सरल बनाया जाएगा और बैंकों की पारिस्थितिकी को सुदृढ़ किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): अविनियमित ऋण परिवेश में ऋण सुविधाएं अलग-अलग बैंक बोर्डों की अनुमोदित उधार नीतियों और भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों से अभिशासित होती हैं। सरकार समय-समय पर सभी ऋण संबद्ध योजनाओं की समीक्षा करती है और पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उद्यमियों सहित उद्यमियों की वित्त तक सुगम पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए कई पहल करती है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(i) स्टैंडअप इंडिया स्कीम (एसयूपीआई) का शुभारंभ प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी),अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, सेवा या कारोबार क्षेत्र और कृषि से सम्बद्ध कार्यकलापों में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए 5 अप्रैल, 2016 को किया गया था। इस योजना को बाद में केंद्रीय बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया था।

(ii) 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को अपने व्यावसायिक कार्यकलापों को स्थापित करने या उनका विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण भी प्रदान किए जाते हैं।

(iii) भारत सरकार ने एसयूपीआई और पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए क्रमशः स्टैंड-अप इंडिया के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएसआई) और सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) की स्थापना की है।

इसके अतिरिक्त, सभी बैंक समय-समय पर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति के उधारकर्ताओं को रियायती ऋण प्रदान करते हैं।

*****